बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

श्रम संसाधन विभाग के अधिनियमों, नियमावलियों एवं अन्य अधिसूचनाओं को संग्रहित करते हुए श्रम सार–संग्रह के प्रकाशन हेतु अल्प अवधि कोटेशन सूचना

ज्ञाप संख्या–01/IML–36/2023, श्र०सं०– **पटना, दिनांक–**

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष), बिहार, पटना द्वारा श्रम पक्ष से संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों एवं अन्य अधिसूचनाओं को संग्रहित करते हुए श्रम सार–संग्रह का पुस्तक के रूप में मुद्रण कराया जाना है। उक्त श्रम सार–संग्रह का 1000 प्रतियों में पुस्तक के रूप में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। संबंधित श्रम सार–संग्रह में 200 (दो सौ) पृष्ठ होने की संभावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं ग्लू बाईडिंग कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों–हाथ श्रमायुक्त, बिहार के कार्यालय के प्राप्ति पटल पर दिनांक–25.02.2025 के अपराह्न 04:00 बजे से दिनांक–03.03.2025 के अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। श्रम सार–संग्रह का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

क्र० सं०	पुस्तक का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/पुस्तकों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	श्रम सार–संग्रह	लगभग 200 पृष्ठ /1000 प्रतियों में मुद्रण	कवर पेज पृ० 250 जी०एस०एम० आर्ट बोर्ड मल्टीकलर प्रिंट पॉलिस्टर लैमिनेशन/मुख्य पृष्ठ तथा प्राक्कथन/ शेष पृष्ठों में–130 जी०एस०एम० आर्ट पेपर मल्टीकलर प्रिंट, टेक्सट–आर्ट बोर्ड मल्टीकलर प्रिंट 130 जी०एस०एम०, साईज A4, साईज 8.5 X 11 inch

नोट :– 1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार के पास सुरक्षित होगा।
2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।

इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी श्री विधान चन्द सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के मोबाईल संख्या–9934452188 पर उक्त अवधि में दिनांक– 25.02.2025 के अपराह्न 04:00 बजे से दिनांक–03.03.2025 के अपराह्न 4:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

नोट:– कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है :–

(1) विगत 01 वर्ष का आयकर रिर्टन संबंधी अभिलेख
(2) जी०एस०टी० पंजीकरण से संबंधित अभिलेख
(3) Colour Sheet fed offset printing machine, computer set एवं Binding Unit प्रेस परिसर में होने का प्रमाण
(4) कार्यादेश निर्गत होने के 03 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तक प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 07 दिनों के भीतर मुद्रण की कार्रवाई सम्पन्न करते हुए श्रम सार–संग्रह श्रमायुक्त, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

ह०/–
(विजय कुमार)
संयुक्त श्रमायुक्त

ज्ञाप संख्या–01/IML–36/2023, श्र०सं०– 1033 पटना, दिनांक– 24/02/25

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कोटेशन प्राप्त करने संबंधी उपर्युक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त श्रमायुक्त